(13)

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-
60000260085892

आवेदक का नाम-
JAI BHAGWAN
SO CHANDRA
BHAN
विषय-
AS IN DOCUMENT UPLOAD
विभाग -
नियुक्ति
शिकायत
श्रेणी -
भ्रष्टाचार / वित्तीय अनियमितता/कार्यों-विभागीय योजनाओं में लापरवाही/जांच
शिकायत की स्थिति -
निस्तारित
प्राप्त रिमाइंडर-
प्राप्त फीडबैक -
दिनांक 11-05-2026 को फीडबैक:-प्रार्थना पत्र में शिकायत क्या की गई है? इसे पढ़े बिना फर्जी तथ्य लिखकर फर्जी रूप से यह शिकायत निस्तारित की गई है अधिकारीगण अपराधी अधिकारियों को बचाने के लिए मा0 मुख्यमंत्री एवं मा0 प्रधानमंत्री को झूठी सूचनाए भेज रहे हैं
फीडबैक की स्थिति -
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा संतोषजनक में परिवर्तित
फीडबैक पर
कार्यवाही-
कार्यवाही दिनांक -
संलग्नक देखें -
Click here

नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है।

अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :

क्र.स.	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	आदेश	आख्या देने वाले अधिकारी	आख्या दिनांक	आख्या	स्थिति	आपत्ति देखे	संलगनक
1	अंतरित	लोक शिकायत अनुभाग -3(मुख्यमंत्री कार्यालय)	08-05-2026	कृपया शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है।	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव -नियुक्ति	11-05-2026	शिकायती प्रकरण में कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 09 मई 1997 में विहित व्यवस्थानुसार प्रकरण में नियुक्ति अनुभाग 5 के पत्र दिनांक 05.02.2026 द्वारा शिकायतकर्ता से शिकायतें शपथपत्र के माध्यम से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। शपथ पत्र के माध्यम से शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।	निस्तारित		

सेवा में

माननीय प्रधानमंत्री महोदय

भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषयः– अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव (नियुक्ति) उत्तर प्रदेश शासन एंव उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य शीर्ष अधिकारियों द्वारा लुटेरे एंव अपराधी आई0ए0एस0 एंव पी0सी0एस0 अधिकारियों के अपराधों को छुपाये जाने के अवैधानिक प्रयासों के सम्बन्ध में।

महोदय

निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा अफसरशाही (एक अनसुना सच) पुस्तक लिखी गई है जिसमें आई0ए0एस0 एंव पी0सी0एस0 अधिकारियों के नामों का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा किये गये सभी अपराधों के लिखित सबूत इस पुस्तक में उपलब्ध कराये गये है। प्रार्थी द्वारा यह पुस्तक एक प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 13.12.2025 में मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार एंव मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सहित भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के सभी महत्वपूर्ण मंत्रालयों एंव अन्य एजेन्सीयों जैसे सी0बी0आई0, ई0डी0 आदि को भेजी थी, जिसके पश्चात प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.12.2025 में भी इसी सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार एंव मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सहित भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के सभी महत्वपूर्ण मंत्रालयों एंव अन्य एजेन्सीयों जैसे सी0बी0आई0, ई0डी0 आदि को भेजा था, जिनमें से अधिकांश द्वारा इसमें कार्यवाही के लिए यह प्रकरण अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव (नियुक्ति) उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया गया है। श्रीमान अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव (नियुक्ति) उत्तर प्रदेश शासन एंव उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अब तक इस प्रकरण में लुटेरे एंव अपराधी आई0ए0एस0 एंव पी0सी0एस0 अधिकारियेां को बचाने के लिए अब तक जो अवैधानिक कार्य किये गये है। उनका विवरण निम्न प्रकार है–

1. मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया प्रार्थना पत्र दिनांक 29.12.2026 मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 20.01.2026 में प्रमुख सचिव नियुक्ति को कार्यवाही हेतु भेज दिया गया। जिसे उनके द्वारा जनसुनवाई के सन्दर्भ सं0

क्रमश 2

12133260014720 के रूप में दर्ज किया गया। इस प्रार्थना पत्र की जांच के दौरान न तो कोई जांच की गई, और न ही प्रार्थी से कोई सम्पर्क किया गया और दोषी एंव अपराधी आई0ए0एस0 एंव पी0सी0एस0 अधिकारियों को बचाने के लिए यह प्रार्थना पत्र एकतरफा यह कहकर निस्तारित कर दिया कि शासनादेश के अनुसार प्रार्थी को शपथ पत्र के माध्यम से शिकायते उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। यह प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2026 को एकतरफा निस्तारित कर दिया गया। उसके बाद प्रार्थी को नियुक्ति अनुभाग – 5 का पत्र सं0 1/1228949/2026 दिनांक 05.02.2026 भेजा गया जो प्रार्थी को 8 या 9 फरवरी 2026 को प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि जनसुनवाई सन्दर्भ सं0 12133260014720 पर कोई कार्यवाही बिना शपथ पत्र के सम्भव नही है। जबकि अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव (नियुक्ति) द्वारा जनसुनवाई का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2026 में ही निस्तारित कर दिया गया। प्रार्थनां पत्र निस्तारित करने के बाद प्रार्थी को पत्र भेजने का क्या औचित्य था? यदि शपथ की आवश्यकता थी तो प्रार्थी को उसके मो0 नं0 पर सूचना दी जाती प्रार्थी लखनऊ जाकर ही शपथ पत्र सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता।

2. इसके पश्चात नियुक्ति अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 1/1242095/2026 दिनांक 17.02.2026 के द्वारा प्रार्थी को शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य एंव शपथ पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, जिसके अनुपालन में प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.03.2026 में वरिष्ठ आई0ए0एस0 एंव पी0सी0एस0 अधिकारियें द्वारा की गई लूट एंव अन्य अपराधिक कृत्यों के सबूत अधिकारियें के नामों का उल्लेख करते हुए मय नौटरी शपथ पत्र के अपर मुख्य सचिव नियक्ति उत्तर प्रदेश शासन को डाक द्वारा प्रेषित किये जो उन्हें दिनांक 09.03.2026 में प्राप्त हो चुके थे।
3. प्रार्थी द्वारा मा0 प्रधान मंत्री जी को भेजा गया प्रार्थना पत्र दिनांक 29.12.2025 मा0 प्रधान मंत्री कार्यालय को दिनांक 01.01.2026 में प्राप्त हो चुका था, जिसे मा0 प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कार्यवाही के लिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार एंव डी0ओ0पी0टी0 को भेज दिया गया था। इस प्रार्थना पत्र को उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जानबूझकर दबाये रखा गया। जब प्रार्थी द्वारा मा0 प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने प्रार्थना पत्र की गई कार्यवाही की जानकारी आर0टी0आई0 के

क्रमश 3

माध्यम से चाही गई, तब उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों द्वारा लगभग 3 माह बाद यह प्रार्थना पत्र जनसुनवाई सं0 60000260074931 के रूप में दिनांक 25.03.2026 में दर्ज किया गया। इस प्रार्थना पत्र की जांच के दौरान भी प्रार्थी से कोई सम्पर्क नही किया गया और न ही कोई जांच की गई तथा दिनांक 02.04.2026 में अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव (नियुक्ति)द्वारा यह आख्या लिख कर कि शिकायतकर्ता को शिकायतें शपथपत्र के माध्यम से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जो अप्राप्त है। इतने उच्च स्तर पर इतना बडा फ्राड अविश्वसनीय है, किन्तु सत्य है। नियुक्ति अनुभाग–3 लखनऊ के पत्र सं0 1/1277008/2026 दिनांक 23.03.2026 में मेरे द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से भेजी गई शिकायते नियुक्ति विभाग को प्राप्त होना उल्लिखित किया गया है।

जबकि दिनांक 02.04.2026 में अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव (नियुक्ति) उत्तर प्रदेश शासन मा0 प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायत को फर्जी रूप से यह लिखकर निस्तारित कर रहे है, कि शिकायतें शपथ पत्र के माध्यम से अप्राप्त है। क्यों उत्तर प्रदेश सरकार के इतने उच्च पदों पर बैठे वरिष्ठ अधिकारी दोषी, लुटेरे एंव अपराधी आई0ए0एस0 पी0सी0एस0 अधिकारियों को बचाने के लिए मा0 प्रधानमंत्री कार्यालय तक को सरासर झूठी सूचनायें प्रेषित कर रहे है?

4. प्रार्थी द्वारा मा0 प्रधानमंत्री जी को भेजा गया प्रार्थना पत्र दिनांक 29.12.2025 प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा दिनाक 25.03.2026 में PMOPG/D/2026/0053768 के रूप में दर्ज करके मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश सरकार क0नं0 321 लखनऊ को भेजा गया। जिन अधिकारी को यह प्रार्थना पत्र भेजा गया उनकी ई–मेल आई0डी0 पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.03.2026 में यह लिखकर भेजा गया कि इस प्रार्थना पत्र की जांच में प्रार्थी का पक्ष अवश्य सुना जायें, किन्तु उन अधिकारीगण द्वारा भी बिना कोई जांच किये, बिना प्रार्थी से सम्पर्क किये दिनांक 02.04.2026 में यह लिखकर प्रार्थना पत्र निस्तारित कर दिया कि नियुक्ति विभाग द्वारा शिकायते शपथ पत्र के माध्यम से शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जो अप्राप्त है।

जबकि प्रार्थी नियुक्ति विभाग/अपर मुख्य सचिव नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन को शपथ पत्र के माध्यम से शिकायते दिनांक 06.03.2026 में भेज चुका था जो उन्हें

क्रमश 4

दिनांक 09.03.2026 में प्राप्त हो चुकी थी। जिसका उल्लेख नियुक्ति अनुभाग–3 लखनऊ के पत्र सं0 1/1277008/2026 दिनांक 23.03.2026 में भी है। उत्तर प्रदेश शासन के इतने बडे बडे उच्च अधिकारी क्यों दोषी, लुटेरे एंव अपराधी आई0ए0एस0 एंव पी0सी0एस0 अधिकारियों को बचाने के लिए मा0 मुख्यमंत्री एंव मा0 प्रधानमत्री को झूठी एंव असत्य सूचनायें प्रेषित कर रहे है? जबकि मा0 मुख्यमंत्री एंव मा0 प्रधानमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा की गई। यहां तो अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार से बहुत आगे जाकर अनेक प्रकार के आपराधिक कृत्य किये गये है जिनके सभी लिखित सबूत प्रार्थी द्वारा शासन सरकार व सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय को उपलब्ध कराये जा चुके हैं तथा अपर मुख्य सचिव नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन को भी शपथ पत्र के साथ उपलब्ध करा चुका है।

5. अपर मुख्य सचिव नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इन अपराधी एंव लुटेरे आई0ए0एस0 एंव पी0सी0एस0 अधिकारियों को बचाने के लिए उनके द्वारा किये गये एक अन्य प्रयास को देखिये–

नियुक्ति अनुभाग–3 के पत्र सं0 1/1242095/2026 दिनांक 17.02.2026 में इन सभी अधिकारियो के नाम अंकित करके मुझे शपथ पत्र के माध्यम से शिकायतें देने को कहा गया। जो मैने इन अधिकारियों के नामो का उल्लेख करते हुए उन्हें उपलब्ध करा दी। इसके बाद इस प्रकरण की जांच के लिए उन्हें कोई समिति गठित करनी चाहिए थी अथवा जिन अधिकारियों के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र देकर शिकायते एंव शिकायतों से सम्बन्धित सभी लिखित सबूत श्रीमान अपर मुख्य सचिव नियुक्ति को दिये गये थे उन अधिकारियों से कम से कम एक रैंक छोडते हुए उससे उच्च रैंक के अधिकारी को नियमानुसार जांच सौपनी चाहिए थी किन्तु नियुक्ति अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 1/1277008/2026 दिनांक 23.03.2026 के द्वारा आयुक्त सहारनपुर मण्डल सहारनपुर को जांच हेतु जो पत्र भेजा गया उस पत्र में इन अधिकारियों के नामों का उल्लेख नही किया गया वह इसलिए क्योंकि आयुक्त सहारपुर मण्डल सहारनपुर वरिष्ठ आई0ए0एस0 अधिकारी श्री कौशलराज शर्मा के विरूद्ध की गई शिकायतों की जांच हेतु समक्ष अधिकारी ही नही है इसके अलावा इस पत्र की कोई प्रतिलिपि प्रार्थी को भी नही भेजी गई, और न ही इस पत्र में ऐसा कोई निर्देश आयुक्त महोदय सहारपुर मण्डल सहारनपुर को

क्रमश 5

दिया गया कि शिकायतकर्ता का पक्ष सुनाया जाये तथा उसके बयान अंकित किये जाये। यह सब अधिकारी मिलकर लुटेरे एंव अपराधिक आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 अधिकारियों को बचाना चाहते है, एंव आयुक्त सहारनपुर मण्डल सहारनपुर से एकतरफा फर्जी जांच आख्या मंगाकर इस प्रकरण को फर्जी रूप से निस्तारित करना चाहते है।

अतः आपसे सादर प्रार्थना है कि इन लुटेरे, भ्रष्ट एंव अपराधी आई0ए0एस0 एंव पी0सी0एस0 अधिकारियों जिनके द्वारा किये गये आपराधिक कृत्यों के लिखित सबूत प्रार्थी शासन एंव सरकार तथा शपथ पत्र के माध्यम से श्रीमान अपर मुख्य सचिव नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करा चुका है इनके विरूद्ध किसी निष्पक्ष जांच एजेन्सी अथवा सक्षम अधिकारियों की समिति गठित करके जांच कराई जावे तथा इनके द्वारा किये गये प्रत्येक अपराध के अनुसार उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा इन दोषी लुटेरे एंव अपराधी आई0ए0एस0 एंव पी0सी0एस0 अधिकारियों को बचाने के लिए मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय एंव मा0 प्रधानमंत्री कार्यालय को झूठी सूचनाऐं भेजने वाले एंव जनसुनवाई उत्तर प्रदेश एंव प्रधानमंत्री कार्यालय PMOPG के प्रार्थना पत्रों के फर्जी निस्तारण के दोषी अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव (नियुक्ति) उत्तर प्रदेश शासन एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करते हुए भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेन्स की नीति का अनुपालन कराने तथा दोषियें को सजा एंव निर्दोषो को न्याय प्रदान कराने एंव इस प्रार्थना पत्र का फर्जी निस्तारण न हो पाये यह सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक 06.04.2026

प्रार्थी

जय भगवान पुत्र श्री चन्द्रभान,
निवासी– ग्राम बुवाडा खुर्द पोस्ट– खतौली,
जिला मुजफ्फरनगर, पिन कोड– 251201
मो0 नं0– 8630682756